

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/138/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/291

<u>अपीलार्थी</u>	<u>बनाम</u>	<u>प्रत्यर्थी</u>
श्री नानगराम पुत्र कालूराम, जाति-यादव, निवासी-भडकोल, तहसील-मालाखेडा जिला-अलवर (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर अलवर

प्रवेश तिथि :: 19.12.2022


प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 02.01.2023

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 02.11.22 के द्वारा प्रत्यर्थी के न्यायालय मुकदमा नंबर 104/2008 बअनुवानी शिवदयाल बनाम नानगा वगै. के संबंध में सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रा0पत्र दिनांक: 14.12.22 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. कोर्ट/RTIअपील/300 दिनांक: 26.12.2022, जिसक प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपील के तथ्यों व प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक: 23.12.2022 को प्रश्नगत सूचना नकल उपलब्ध कराई जा चुकी है, साथ ही प्रश्नगत राजस्व मण्डल, राज. अजमेर द्वारा वांछित मूल पत्रावली भी जरिये पत्र सं. 299 दिनांक: 23.12.2022 रजिस्टर्ड भिजवाई जा चुकी है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया है जो उचित नहीं है, साथ ही अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
8. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है। अपील, अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है, साथ ही लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना आवेदनों को विलम्बित नहीं किया जावे।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 02.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



  
(नवीन यादव)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज.)